By Speed Post RTI Matter (To be issued in Hindi)

No.VI.23014/132/2013-VS Government of India Ministry of Home Affairs (PP Division)

> NDCC-II Building. 3rd Floor, Jai Singh Road, New Delhi Dated:4th March, 2014

То

Shri Shyam Sunder Sharma, C/o Right to Information, Task Force Office, Md. Khalil Sharki, Near Amba Talkies Mode, Shahjahanpur.

Subject:

Application under the RTI Act-2005.

Sir,

Please refer to your online RTI application dated 14.01.2014 received in this unit on on transfer on 13.02.2014.

- With reference to point Nos.(1) to (4) of your application, it is stated that the responsibility for providing security to individuals, including RTI Activists, rests primarily with the State Government concerned, in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident or happens to be. The security is provided on the basis of threat assessment carried out by the security agencies. Security to an individual is not provided solely on the basis of his/her being a RTI Activist etc. However, information sought by you may be related to CS Division, MHA and DOP&T. A copy of your RTI application has already been forwarded to DOP&T vide RTI Cell, MHA's OM No.A-43020/01/2014 dated 10.02.2014. A copy of your application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to CS Division, MHA for providing requisite information directly to you.
- With regard to point No.(5) of your application, it is stated that this unit has not issued letter dated 24.06.2013 referred to by you. However, a copy of your application is being forwarded to all CPIOs of MHA for providing requisite information directly to you, if any, available with them.
- As regards point No.(6) of your application, it is stated that the subject matter may be related to Government of U.P. Accordingly, a copy of your application is also being forwarded to Government of U.P. You are requested to approach PIO of State Government of U.P. for the requisite information.
- An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001.

Yours faithfully.

(Girish Kumar) Director (VS) & CPIO Tele:23438120

Fax:011-23438077


5.3.14 So 1 PP I) SS

9/14/2014-PAR

सेवा मे

्मा० जनसूचना अधिकारी / गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पत्राक् स0-5 = 3/सू०अ०अधि०-२००५ / शाहजहाँपुर



विषय:— सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की घारा 6(1) के तहत आवेदन:—

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी में आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशों में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों के ऊपर हमले की घटनाओं को दृष्टिगत कर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई निर्घारित अविध

में निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

वांछित शुल्क 10/—रू० हेतु पाँच रूपये मूल्य के दो पोस्टल आर्डर सं0—69C 747395 मूल

रूप में संलग्न है।

आपेक्षित सूचना का विवरण:-

1- आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस-किस दिनांक को किस-किस नाम के अधिकारीयों द्वारा आदेश \ पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशों की छाया प्रति की प्रमाणित कर दो प्रतियों मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।

आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष

में है अथवा किसी प्रदेश में बताने की कृपा करे।

3. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव यदि किसी प्रदेश में हैं नहीं है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करे।

4. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो पर होने वाले हमलो से एक्टिविस्टो को किस प्रकार की सुरक्षा

उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करे।

5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर०र्टा०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करे।

 क्या उत्तर प्रदेश मे आर०टी०आई० एक्टिविस्टो से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी है। यदि हाँ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियों में प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा

संलग्नक_

1. उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप मे।

नोट:-यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य C/o सूचना का अधिकार,टास्क फोर्स कार्यालय, तो हो सं लोगं / प्राधिकरण सू०अ०अधि०—2005 की घारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करे।

कृपया | मो0 खलील शर्की, निकट-अम्बा टाकीज मोड़, शाहजहाँप्र

F.No.5/14/2014-PP(Dir.PP) Government of India Ministry of Home Affairs **Policy Planning Division**

A Wing, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Dated, March 6, 2014

Speed Post 06 Mil 2014

Shri Shyam Sunder Sharma,

C/o Right to Information, Task Force Office. Md. Kalil Sharki, Near Amba Talkies Mode,

Shahjahanpur.

Subject: Application under the RTI Act – 2005.

Chemical

Sir,

Please refer to your RTI application No.503/RTI-2005/Shahjahanpur dated 14.02.2014 regarding information on security to RTI activists etc. A copy of your RTI application has been forwarded to this Division by Director (VS) & CPIO vide letter No.VI.23014/132/2013-VS dated 04.03.2014.

- With reference to information sought by you in your RTI application, it is stated that in so far as the work of this Division under purview of the undersigned is concerned, the information may be treated as 'nil'. Hindi version of this reply will follow.
- 3. Hirdi Versia M folla.

Yours faithfully,

(CPS Nonghulo) Director (PP) Tel.No.2343 8104

Fax No.2343 8109

फ0 सं0 5/14/2014-पी.पी (निदे0पी0पी0)

भारत सरकार गृह मंत्रालय नीति नियोजन प्रभाग

1 4 MAR 2014

1 4 MAR 2014

ए विंग0 तृतीय तल, एन0डी0सी0सी0-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली दिनांक: मार्च, 2014

सेवा में,

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, मार्फत सूचना का अधिकार, टास्क फोर्स ऑफिस, मो0 खलील शर्की, निकट अम्बा टाकीज मोड़, शाहजहांपुर।

विषय: स्चना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन - के संबंध में।

महोदय,

कृपया आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं आदि को सुरक्षा संबंधी सूचना के बारे में आपके दिनांक 14.02.2014 के आर0टी0आई0 आवेदन सं0 503/आर0टी0आई0-2005/शाहजहांपुर का संदर्भ लें। आपके आवेदन की एक प्रति इस प्रभाग के निदेशक (वी0एस0) एवं सी0पी0आई0 ओ0 द्वारा दिनांक 04.03.2014 के पत्र सं0 VI.23014/132/2013-वी0एस0 के तहत अग्रेषित की गई है।

2. आपके आर0टी0आई0 आवेदन में मांगी गई सूचना के संदर्भ में यह बताया जाता है कि जहां तक अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार के अधीन इस प्रभाग के कार्य का संबंध है, यह सूचना 'शून्य' समझी जाए।

भवदीय,

्रिसी0पी0एस0 नांगुलु) निदेशक (पी0पी0) दूरभाष सं0 23438104 फैक्स सं0 23438109

51/1 Cen 211